


प्रेस नोट

ऊना जिले के सभी प्राइवेट उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालायाओ के प्रधानाचार्यों व मुख्याध्यापको को सूचित किया जाता है माननीय उच्च न्यायालय के कोर्ट केस CWP 8789/2014 , CWP 8781/2014 तथा शिक्षा निदेशालय के आदेशनुसार अपने अपने स्कूल की सूचना वेबसाइट पर अपलोड करने व सूचना पट पर लगाने हेतु आदेश दिए गए थे. इसलिए सभी पाठशालायाओ से इस संदर्भ में इस कार्यालय में 01-04-19 तक एक सर्टिफिकेट (मोहर सहित हस्ताक्षर) जमा करवाने के आदेश दिए थे कि उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के दिए गए आदेशों को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है व सारी सूचना सूचना पट व स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है या नहीं। जिन पाठशालायाओ ने अभी तक यह सूचना इस कार्यालय में जमा नहीं करवाई है उन्हें निर्देश दिए जाते हैं की 03-04-19 तक शाम 5:00 बजे से पहले यह सूचना प्रपत्र पर भरकर इस कार्यालय में जमा करवा दें या ईमेल के माध्यम से भेज दें ddhe-una-hp@gov.in , अन्यथा उनके नाम उच्चाधिकारियों को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिए जायेंगे इसे अति आवश्यक समझें. जो स्कूल उच्च न्यायालय के यह आदेश नहीं मानेगा उनके स्कूल के नाम उच्चाधिकारियों को भेज दिए जायेंगे व उनके विरुद्ध विभागीय कारवाही अमल में लाई जाएगी प्रपत्र इस कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

दिनांक - 02-04-19


उप शिक्षा निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना (हि.प्र)